IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, July 2026
Impact Factor: 8.2

हरियाणा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण का अध्ययन

Saroj Rani[1] and Dr. Nisha Kumari[2]
Junior Research Fellow, Political Science Department[1]
Assistant Professor, Political Science Department[2]
Baba Mastnath University, Asthal Bohar, Rohtak, Haryana
sarojranibbsm@gmail.com and drnishuku@gmail.com

सार

हरियाणा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक शांत प्रकृति की रही **है। मतदान केंद्रों और ग्राम पंचायतों** पर **महिलाओं की उपस्थिति अब** स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही **है।** संवैधानिक **और राज्य स्तर के आरक्षण ने राजनीतिक** भागीदारी को धरातल तक पहुँचा दिया **है। फिर भी विधायी स्तर पर उनकी संख्या अभी सीमित है, और** महिलाओं की **सामाजिक-आर्थिक निर्भरता** महिलाओं की राजनीतिक पहुँच को सीमित कर रही **है।**

प्रस्तुत **शोधपत्र हरियाणा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण को मतदान, विधानसभा में प्रतिनिधित्व, पंचायती राज संस्थाओं में स्थान, शिक्षा, निर्णय-क्षमता, संपत्ति पर अधिकार, वित्तीय पहुँच, तकनीकी साधनों की उपलब्धता, काम से** उत्पन्न **आय और लैंगिक हिंसा जैसे संकेतकों के आधार पर** महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को स्पष्ट करता **है।** शोध पत्र के **विश्लेषण में भारत निर्वाचन आयोग, हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संसदीय शोध संस्था, हरियाणा सांख्यिकीय सार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पाँच, पंचायती राज मंत्रालय और अन्य सरकारी प्रतिवेदनों के प्रमाणित आँकड़ों का उपयोग किया गया है।**

निष्कर्ष रूप में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में **उल्लेखनीय प्रगति** हुई **है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण के बाद चुने गए प्रतिनिधियों में महिला**ओं की संख्या **लगभग आधी हो गईं। वर्ष 2024 की विधानसभा में तेरह महिलाएँ विधायक चुनी गईं, जो पहले बने उच्च स्तर की बराबरी करता है।** परन्तु **यह प्रगति बराबर और पूर्ण नहीं है। वर्ष**

2024 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान पुरुषों से कम रहा, विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14.4 प्रतिशत रही, और काम से उत्पन्न **नकद आय, चल-दूरभाष का निजी उपयोग तथा घर या जमीन के स्वामित्व जैसे संकेतक अब भी संरचनात्मक निर्भरता दिखाते हैं। इसीलिए यह अध्ययन** दर्शाता **है कि हरियाणा की महिलाओं ने राजनीति के दरवाजे पर प्रवेश पा लिया है,** परन्तु **सच्चे** अर्थ में **सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, आवाजाही, तकनीकी पहुँच, स्थानीय शासन का प्रशिक्षण और पितृसत्तात्मक राजनीतिक संस्कृति में** प्रभावी परिवर्तन **आवश्यक है।**

मुख्य शब्द: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण, पंचायती राज, लैंगिक आरक्षण, महिला विधायक।

परिचय

राजनीति केवल मतपेटी में डाला गया मत निर्णय तक सीमित **नहीं है। यह** राजनीतिक विचारधारा में **अपने हिस्से की जगह माँगने की नैतिक शक्ति है। यह परिवार, गाँव, राज्य और राष्ट्र के बीच अपने अस्तित्व को** स्थापित करने **की प्रक्रिया है। जब कोई स्त्री मतदान करती है, चुनाव लड़ती है, पंचायत में बैठती है, नीति पर प्रश्न उठाती है, सरकारी कार्यालय में अपना अधिकार माँगती है या घर के भीतर निर्णय में अपनी बात रखती है, तब वह राजनीति को केवल सत्ता का खेल नहीं रहने देती, वह उसे** सशक्तिकरण का माध्यम **बना देती है।**

हरियाणा राज्य कृषि-संपन्नता, सैनिक परंपरा, जातीय संगठनों, मजबूत ग्रामीण समाज और तीखी चुनावी सक्रियता के लिए हरियाणा विशेष रूप से पहचा**ना जाता है।** परन्तु इसके विपरीत, **इसी भूमि पर लैंगिक असमानताएँ** का प्रभाव **भी लंबे समय से** दृष्टिगोचर हो रहा **हैं। स्त्रियाँ मतदाता के रूप में दिखती हैं, पंच और सरपंच के रूप में दिखती हैं, पार्षद, कार्यकर्ता, आंदोलनकारी और विधायक के रूप में भी दिखती हैं।** परन्तु **फिर भी उन**के निर्णय **अक्सर परिवार, जाति, रिश्तेदारी, संपत्ति और राजनीतिक दलों** से प्रभावित होते **है।** राजनीतिक अधिकार लिखित रूप में तो महिलाओं को प्राप्त हो जाते **है,** परन्तु वास्तविक रूप में **कई बार** उनके **निर्णय** किसी अन्य द्वारा लिए जाते **है। यही हरियाणा की स्त्री-राजनीति का मुख्य द्वंद्व है।**

जनगणना से जुड़े राज्य आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 में हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2.53

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, July 2026 Impact Factor: 8.2

करोड़ थी, जिसमें पुरुष लगभग 1.35 करोड़ और महिलाएँ लगभग 1.19 करोड़ थीं। यह संख्या राज्य में लंबे समय से रहे लैंगिक असंतुलन **की ओर संकेत करती है। हरियाणा की राजनीतिक संरचना में लोकसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से विधानसभा की 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।** तथ्य यह इंगित करते है कि **महिला सशक्तिकरण को केवल स्त्री-पुरुष के आधार पर नहीं, बल्कि गाँव-नगर, जाति, वर्ग, शिक्षा, जमीन, आय और पारिवारिक सहारे के साथ जोड़कर देखना होगा।**

इस शोधपत्र का मूल तर्क यह है कि **हरियाणा** में महिलाओं ने **भागीदारी प्राप्त** तो **की है,** परन्तु **अभी पूर्ण सशक्तिकरण नहीं पाया है। भागीदारी का अर्थ है चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की संख्या और उपस्थिति। सशक्तिकरण का अर्थ है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, संसाधनों पर अधिकार, स्वतंत्र आवाज, नीति पर असर और अन्याय का प्रतिरोध। हाल** ही में हुए अध्ययन यह स्पष्ट करते **हैं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व और घरेलू निर्णयों में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है,** परन्तु **विधानसभा में सीमित प्रतिनिधित्व और कमजोर आर्थिक संकेतक लोकतांत्रिक समावेशन** को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाए **हैं।**

अध्ययन के उद्‌देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है:

क) **हरियाणा में महिलाओं की चुनावी भागीदारी, विशेषकर मतदान और प्रतिनिधित्व, को समझना**;

ख) **हरियाणा विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति का मूल्यांकन करना**;

ग) **राजनीतिक भागीदारी को शिक्षा, वित्तीय खाते के उपयोग, जमीन और घर के स्वामित्व, चल-दूरभाष की पहुँच, काम से** उत्पन्न **आय और घरेलू निर्णय-क्षमता जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से जोड़ना**; तथा

घ) **उन प्रमुख कानूनों, घटनाओं, प्रतिवेदनों और नीतिगत बदलावों को चिन्हित करना, जिन्होंने हरियाणा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को आकार दिया** है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, July 2026 Impact Factor: 8.2

शोध-पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसके प्रमुख स्रोत भारत निर्वाचन आयोग के मतदान आँकड़े, हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन संबंधी आँकड़े, पंद्रहवीं हरियाणा विधानसभा पर संसदीय शोध संस्था की रूपरेखा, हरियाणा सांख्यिकीय सार 2021-22, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पाँच का हरियाणा तथ्य पत्रक तथा हरियाणा पंचायती राज संशोधन और संविधान के एक सौ छठे संशोधन से जुड़ी कानूनी सामग्री हैं। प्रस्तुत **अध्ययन** में **गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार** की विधियों **का** प्रयोग किया गया **है।**

हरियाणा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

हरियाणा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तीन प्रकार **से आगे बढ़ी है।** प्रथम, महिलाओं को प्रदान किया गया संवैधानिक **आरक्षण है।** द्वितीय, **चुनावी जागरूकता और जन-गतिशीलता है।** तृतीय, **सामाजिक नीति और राज्य** द्वारा चलायी जा रही प्रभावी **योजनाओं का** प्रभाव **है। 1992 में** हुए **73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का** प्रावधान किया गया **(संसदीय शोध संस्था, 2023)। बाद में हरियाणा ने स्थानीय शासन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई** और **हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2020 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण** को बढ़ाकर **50 प्रतिशत किया गया (पंचायती राज मंत्रालय, 2023)। इस बदलाव ने ग्राम स्तर की राजनीति में महिलाओं के प्रवेश** को बढ़ा **दिया।**

हरियाणा में ग्राम राजनीति अक्सर वह पहला स्थान है, जिस स्तर पर **स्त्री** को **केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णयकर्ता के रूप में** देखा जाता **है। पंचायतें स्वच्छता, पानी, गाँव की सड़क, स्थानीय विवाद, कल्याण**कारी **योजनाओं** तक नागरिकों **की पहुँच, विद्यालयों की व्यवस्था और सामाजिक मानदंडों से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेती हैं। जब कोई महिला पंच या सरपंच बनती है, तो वह ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ लंबे समय तक पुरुष बुजुर्गों, जातीय नेतृत्व, जमीनदार हितों और राजनीतिक दलों से जुड़े प्रभावशाली लोगों का दबदबा रहा है।**

फिर भी केवल कानूनी प्रवेश से छिपा हुआ नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता। हरियाणा में अधिकतर

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, July 2026
Impact Factor: 8.2

यह देखा गया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के नाम पर उसके पति या पुरुष रिश्तेदार अनौपचारिक रूप से अधिकार चलाते हैं, जिसे पति प्रधान प्रथा कहा जाता है। यह स्थिति महिलाओं की भागीदारी को सीमित कर, उसे ओर जटिल बना देती है। संघर्ष अब केवल आरक्षित सीट पाने का नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि बैठक में कौन बोलता है, दस्तावेज पर कौन हस्ताक्षर करता है, अधिकारी से कौन बात करता है, और अंतिम निर्णय किसकी समझ से होता है।

हरियाणा में चुनावी भागीदारी: मतदान और प्रतिनिधित्व

वर्ष 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव, हरियाणा की स्थिति को समझने के लिए उपयोगी दर्पण है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चुनाव में कुल मतदान 67.90 प्रतिशत रहा। पुरुषों का मतदान 68.93 प्रतिशत और महिलाओं का मतदान 66.73 प्रतिशत था (भारत निर्वाचन आयोग, 2024)। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, पर राजनीतिक रूप से अर्थपूर्ण है। इससे पता चलता है कि महिलाएँ सक्रिय मतदाता हैं, फिर भी उन्हें आवाजाही, घरेलू श्रम, सुरक्षा, प्रवासन, परिवार के नियंत्रण या राजनीतिक दलों द्वारा कम पहुँच जैसी बाधाओं का सामना पुरुषों से कुछ अधिक करना पड़ता है।

चुनाव आयोग के अनुसार हरियाणा के कुछ नगर क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है जैसे- गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, बल्लभगढ़, सोनीपत, करनाल और बादशाहपुर जैसे क्षेत्रों में मतदान कई ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम रहा (भारत निर्वाचन आयोग, 2024)। नगर में निवास करने वाली महिलाओं से तात्पर्य यह नहीं है कि नगर में महिला भागीदारी मजबूत है। नगरों में स्त्रियों की बाधाओं का स्वरुप अलग हैं, जैसे असुरक्षित यातायात, छोटे परिवारों में देखभाल का बोझ, नौकरी का समय, पड़ोस आधारित सामूहिकता का कमजोर होना और मध्यमवर्गीय राजनीतिक दूरी।

तालिका 1 : हरियाणा विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों का विवरण

सूचक वर्ष	महिला प्रतिनिधियों की संख्या	महिला प्रतिनिधित्व % में	स्रोत
वर्ष 2024 में महिला	90 में 13	14.4 प्रतिशत	संसदीय शोध संस्था, 2024

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, July 2026 Impact Factor: 8.2

विधायक			
वर्ष 2019 में महिला विधायक	90 में 9	10.00 प्रतिशत	संसदीय शोध संस्था, 2024
वर्ष 2014 में महिला विधायक	90 में 13	14.4 प्रतिशत	संसदीय शोध संस्था, 2024

हरियाणा विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी से काफी कम है। हरियाणा विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार और सीधी रेखा में नहीं बढ़ा। वर्ष 1967 में महिला विधायकों की संख्या 4 थी। संसदीय शोध संस्था के अनुसार वर्ष 2024 में चुनी गई पंद्रहवीं हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और इनमें 13 महिला विधायक हैं। यह विधानसभा का 14.4 प्रतिशत है। यह उपलब्धि पहले बने उच्च स्तर की बराबरी करती है, पर इसे पूर्ण सफलता नहीं कहा जा सकता। हरियाणा ने वर्ष 2014 में भी 13 महिला विधायक चुनी थीं, फिर वर्ष 2019 में यह संख्या घटकर 9 रह गई, और वर्ष 2024 में फिर 13 पर पहुँची (संसदीय शोध संस्था, 2024)। निर्वाचन में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति में उतार-चढ़ाव से स्पष्ट है कि जब तक विधानसभा स्तर पर आरक्षण लागू नहीं होता या राजनीतिक दल टिकट वितरण में ठोस बदलाव नहीं करते, महिलाओं की उपस्थिति अत्यधिक सीमा तक दलों की रणनीति और राजनीतिक परिवारों पर निर्भर रहेगी। यह राजनीतिक दलों द्वारा टिकट देने, जीत की संभावना, परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि, जातीय समीकरण और प्रत्याशी के संसाधनों पर बहुत निर्भर रहती है।

तालिका 2 : वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव का विवरण

मतदान स्थिति	मतदान % में	टिप्पणी	स्रोत
वर्ष 2024 विधानसभा कुल मतदान	67.90 प्रतिशत	मध्यम से ऊँचा मतदान	भारत निर्वाचन आयोग, 2024
पुरुष मतदान	68.93 प्रतिशत	महिलाओं से 2.20 प्रतिशत अंक अधिक	भारत निर्वाचन आयोग, 2024
महिला मतदान	66.73 प्रतिशत	मजबूत, पर पुरुषों से कम	भारत निर्वाचन आयोग, 2024

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार कुल मतदान प्रतिशत **67.90** प्रतिशत रहा, जो राज्य में मध्यम से उच्च स्तर की लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रुचि लेते हुए अपने मताधिकार का प्रभावी प्रयोग किया।

लैंगिक आधार पर मतदान का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत **68.93** प्रतिशत रहा, जबकि महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत **66.73** प्रतिशत रहा। इस प्रकार पुरुषों का मतदान महिलाओं की तुलना में **2.20** प्रतिशत अधिक रहा। यद्यपि यह अंतर अत्यधिक नहीं है, फिर भी यह महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में विद्यमान कुछ सामाजिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक बाधाओं की ओर संकेत करता है।

इसके बावजूद **66.73** प्रतिशत महिला मतदान यह दर्शाता है कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी उल्लेखनीय स्तर पर पहुँच चुकी है तथा वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह प्रवृत्ति महिला राजनीतिक जागरूकता, निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियानों तथा महिला सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को भी प्रतिबिंबित करती है।

पंचायती राज और स्थानीय सशक्तिकरण

वर्ष 1992 में किए गए 72वें व 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण धरातल तक पहुच पाया। इससे पंचायती राज व्यवस्था में, एवं नगरपालिका व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्तर के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पायी। हरियाणा के संबंध में नीचे दी गयी तालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है :

तालिका 3 : वर्ष 2022 में स्थानीय निकाय चुनाव में महिला प्रतिनिधियों का विवरण

स्थानीय निकाय चुनाव की स्थिति	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि संख्या	निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व % में	स्रोत
वर्ष 2022 में चुनी गई महिला पंच	**58,825 में 27,614**	**लगभग 46.9 प्रतिशत**	**आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, 2023**
वर्ष 2022 में चुनी गई महिला सरपंच	**6,201 में 3,017**	**लगभग 48.6 प्रतिशत**	**आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, 2023**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, July 2026 Impact Factor: 8.2

महिला पंचायत समिति सदस्य	**3,081 में 1,466**	**लगभग 47.6 प्रतिशत**	**आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, 2023**
महिला जिला परिषद सदस्य	**411 में 196**	**लगभग 47.7 प्रतिशत**	**आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, 2023**

हरियाणा में महिलाओं की औपचारिक राजनीतिक भागीदारी का सबसे मजबूत क्षेत्र पंचायती राज है। हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2020 ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को विस्तृत कर **50 प्रतिशत** कर **दिया (पंचायती राज मंत्रालय, 2023)। इसका प्रभाव वर्ष 2022 के छठे पंचायती आम चुनाव में स्पष्ट दिखा। राज्य में 58,825 चुने गए पंचों में 27,614 महिलाएँ थीं, 6,201 चुने गए सरपंचों में 3,017 महिलाएँ थीं, 3,081 पंचायत समिति सदस्यों में 1,466 महिलाएँ थीं और 411 जिला परिषद सदस्यों में 196 महिलाएँ थीं (आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, 2023)**

आरक्षण केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानीय सत्ता संरचना में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का विस्तार करता है। इससे महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व वर्ग विकसित होता है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा स्थानीय निर्णय-निर्माण में अनुभव प्राप्त करता है। यद्यपि अनेक मामलों में पारिवारिक सहयोग और पुरुष हस्तक्षेप बना रहता है, फिर भी शासन-प्रक्रिया में निरंतर सहभागिता महिलाओं के राजनीतिक आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करती है।

फिर भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या संख्यात्मक प्रतिनिधित्व वास्तविक निर्णयकारी अधिकार में परिवर्तित हो पाता है। हरियाणा में जाति, रिश्तेदारी और पितृसत्तात्मक संरचनाओं के प्रभाव के कारण कई स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पुरुष परिजन निर्णय लेते हैं, जिसे प्रायः "सरपंच पति" की प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। यह केवल सामाजिक नहीं, बल्कि संस्थागत चुनौती भी है, क्योंकि अपर्याप्त प्रशिक्षण, कमजोर प्रशासनिक निगरानी और सीमित जवाबदेही महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता को बाधित करती है।

इसके बावजूद निर्वाचित महिलाओं को निष्क्रिय प्रतिनिधि मानना उचित नहीं है। अनुभव दर्शाते हैं कि शासन-प्रक्रिया में सतत सहभागिता उन्हें प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक समझ और नेतृत्व

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, July 2026
Impact Factor: 8.2

कौशल प्रदान करती है। इस प्रकार आरक्षण स्थानीय लोकतंत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर नेतृत्व की सामाजिक अवधारणा में दीर्घकालिक परिवर्तन की आधारशिला रखता है।

सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पाँच ने **जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच हरियाणा में सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण** पर विस्तृत अध्ययन किया **है। इसमें 18,229 परिवारों, 21,909 महिलाओं और 3,224 पुरुषों को शामिल किया गया (अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं सहयोगी संस्था, 2021)। इससे चुनाव से बाहर के लैंगिक संबंधों को समझने में सहायता मिलती है।**

शिक्षा के संकेतक सुधार दिखाते हैं, पर अंतर भी दिखाते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार छह वर्ष और उससे अधिक आयु की 73.8 प्रतिशत लड़कियों और महिलाओं ने कभी न कभी विद्यालय में पढ़ाई की थी। 15 से 49 वर्ष की 79.7 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थीं, जबकि इसी आयु वर्ग में पुरुषों की साक्षरता 91.5 प्रतिशत थी (अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं सहयोगी संस्था, 2021)। शिक्षा का संबंध **राजनीति से** सीधा जुड़ा **है। पढ़ी-लिखी महिला चुनावी** पत्र **पढ़ सकती है, कल्याण योजना का प्रपत्र समझ सकती है, पंचायत का अभिलेख देख सकती है, सूचना तक पहुँच सकती है और अधिकारी पर निर्भरता को चुनौती दे सकती है।**

तालिका 4 : महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं डिजिटल सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतक

सूचक	आँकड़ा % में	टिप्पणी	स्रोत
घरेलू निर्णयों में विवाहित महिलाओं की भागीदारी	**87.5 प्रतिशत**	**घर के भीतर निर्णय उपस्थिति मजबूत**	**अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं सहयोगी संस्था, 2021**
स्वयं उपयोग वाला वित्तीय खाता रखने वाली महिलाएँ	**73.6 प्रतिशत**	**वित्तीय पहुँच में बड़ा सुधार**	**अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं सहयोगी संस्था, 2021**
घर या जमीन का अकेले या संयुक्त	**39.3 प्रतिशत**	**संपत्ति पर अधिकार अभी सीमित**	**अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं सहयोगी**

स्वामित्व			**संस्था, 2021**
पिछले बारह महीनों में काम करके नकद भुगतान पाने वाली महिलाएँ	**18.8 प्रतिशत**	**आर्थिक स्वायत्तता कमजोर**	**अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं सहयोगी संस्था, 2021**
इन्टरनेट **का उपयोग करने वाली महिलाएँ**	**48.4 प्रतिशत**	**तकनीकी दूरी राजनीतिक आवाज को प्रभावित करती है**	**अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं सहयोगी संस्था, 2021**

प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **87.5** प्रतिशत विवाहित महिलाएँ घरेलू निर्णयों में भागीदारी करती हैं, जो पारिवारिक निर्णय-निर्माण में उनकी सशक्त भूमिका को दर्शाता है। **73.6** प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं संचालित बैंक खाता है, जिससे उनकी वित्तीय समावेशन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित होता है।

इसके विपरीत, केवल **39.3** प्रतिशत महिलाओं का घर या भूमि पर संयुक्त अथवा एकल स्वामित्व है तथा मात्र **18.8** प्रतिशत महिलाओं को कार्य के बदले नकद भुगतान प्राप्त होता है, जो आर्थिक स्वायत्तता और संपत्ति पर अधिकार के क्षेत्र में अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों की ओर संकेत करता है। वहीं **48.4** प्रतिशत महिलाओं द्वारा इंटरनेट का उपयोग किया जाना डिजिटल पहुँच में प्रगति को दर्शाता है, यद्यपि इस क्षेत्र में भी सुधार की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं।

अतः स्पष्ट है कि महिलाओं की सामाजिक एवं वित्तीय भागीदारी में सकारात्मक प्रगति हुई है, किन्तु संपत्ति के स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता तथा डिजिटल समावेशन के क्षेत्रों में अभी और सुदृढ़ नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण में प्रमुख बाधाएं

क) पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना

हरियाणा का सामाजिक ढाँचा मुख्यतः पितृसत्तात्मक है, जहाँ परिवार एवं समुदाय के अधिकांश निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अक्सर औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रह जाती है। अनेक मामलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, July 2026
Impact Factor: 8.2

के स्थान पर उनके पति या अन्य पुरुष परिजन निर्णय-निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जिससे महिलाओं का वास्तविक नेतृत्व बाधित होता है।

ख) शैक्षिक एवं राजनीतिक जागरूकता का अभाव

यद्यपि महिला साक्षरता में निरंतर वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिलाओं के बीच राजनीतिक प्रक्रियाओं, संवैधानिक अधिकारों तथा स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली के प्रति पर्याप्त जानकारी का अभाव है। सीमित राजनीतिक जागरूकता के कारण वे निर्णय-निर्माण, नीति-निर्धारण तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रभावी भूमिका निभाने में कठिनाई अनुभव करती हैं।

ग) आर्थिक निर्भरता एवं संसाधनों की सीमाएँ

आर्थिक आत्मनिर्भरता राजनीतिक सहभागिता का महत्वपूर्ण आधार है। हरियाणा में अनेक महिलाएँ आज भी आय, संपत्ति एवं वित्तीय संसाधनों पर सीमित नियंत्रण रखती हैं। चुनावी प्रक्रिया में आवश्यक आर्थिक संसाधनों की कमी तथा परिवार पर वित्तीय निर्भरता उनके स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय एवं नेतृत्व क्षमता को प्रभावित करती है।

घ) राजनीतिक दलों एवं संस्थागत समर्थन की कमी

राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को सीमित अवसर, नेतृत्व प्रशिक्षण का अभाव तथा निर्णयकारी पदों पर कम प्रतिनिधित्व उनकी राजनीतिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा प्रभावी संस्थागत सहयोग की कमी के कारण निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग करना कठिन हो जाता है।

ङ) सांस्कृतिक, जातीय एवं पारिवारिक दबाव

हरियाणा में जाति, सामाजिक परंपराएँ, पारिवारिक अपेक्षाएँ तथा सम्मान की पारंपरिक धारणाएँ महिलाओं की सार्वजनिक एवं राजनीतिक भूमिका को प्रभावित करती हैं। कई बार महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय परिवार या समुदाय की इच्छा के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। परिणामस्वरूप उनकी राजनीतिक स्वायत्तता सीमित होती है और लोकतांत्रिक नेतृत्व की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सुझाव

हरियाणा सरकार को महिला राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए **कई स्तरों पर काम करने की** आवश्यकता **है। राजनीतिक दलों को कानूनी बाध्यता की प्रतीक्षा किए बिना विधानसभा चुनावों में कम से कम एक-तिहाई टिकट महिला** प्रत्याशी **को देने चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण अनिवार्य और निरंतर होना चाहिए। इसमें बजट, ग्राम सभा की प्रक्रिया, कल्याण योजनाएँ, अंकीय दस्तावेज, अधिकार, शिकायत व्यवस्था और कानून की सरल जानकारी शामिल होनी चाहिए। स्थानीय निकायों की बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचित महिला की जगह कोई अनिर्वाचित रिश्तेदार न बोले, न हस्ताक्षर करे, न निर्णय** लें।

महिला प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर विधिक सहायता, दूरभाष सहायता, यात्रा भत्ता, सुरक्षित बैठक स्थल और तकनीकी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। राज्य को राजनीतिक सशक्तिकरण को आजीविका नीति से जोड़ना होगा। महिलाओं की नकद आय का कम होना केवल आर्थिक समस्या नहीं, लोकतांत्रिक समस्या भी है। स्वयं सहायता समूह, कौशल प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव, भूमि-अधिकार जागरूकता और सुरक्षित यातायात महिलाओं को राजनीति में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की क्षमता दे सकते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में लड़कियों को स्थानीय लोकतंत्र की सरल और व्यावहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अंततः पुरुषों और परिवारों को भी संवेदनशील बनाना होगा, क्योंकि जिस घर में राजनीति को पुरुष की विरासत माना जाता है, वहाँ स्त्री का सार्वजनिक नेतृत्व लंबे समय तक संघर्ष करता रहेगा।

निष्कर्ष

हरियाणा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी स्पष्ट रूप से बढ़ी है। पंचायती राज आरक्षण और मतदाता के रूप में बढ़ती उपस्थिति ने स्त्रियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया **है। वर्ष 2022 के पंचायत** चुनाव के **आँकडों** से स्पष्ट होता **हैं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व लगभग समानता के पास पहुँच** गया है**। वर्ष 2024 की विधानसभा में 13 महिला विधायक चुनी गईं, जिसने पहले बने उच्च स्तर की बराबरी की। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पाँच भी घरेलू निर्णय-क्षमता, वित्तीय खाते के उपयोग, शिक्षा और वैवाहिक हिंसा में कमी जैसे संकेतकों पर सुधार दिखाता है। ये छोटे**

परिवर्तन नहीं हैं, यह स्पष्ट करते **हैं कि हरियाणा का लैंगिक ढाँचा धीरे-धीरे बदल रहा है।**

विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी केवल 14.4 प्रतिशत है। महिलाओं का मतदान पुरुषों से कम है। काम से नकद आय, घर या जमीन का स्वामित्व, चल-दूरभाष का निजी उपयोग और इन्टरनेट **तक पहुँच सीमित है। कुछ जगहों पर** पति प्रधान प्रथा **शासन, चुनी हुई महिलाओं के अधिकार को कमजोर करता है। हरियाणा ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के रास्ते दिए हैं, पर अगला काम यह है कि यह प्रवेश स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और नीति को प्रभावित करने वाला बने।**

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता **है कि हरियाणा में महिलाओं का सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण वास्तविक है, पर पूर्ण नहीं। राज्य ने औपचारिक भागीदारी, विशेषकर स्थानीय स्तर पर, मजबूत की है। अब उसे अर्थपूर्ण सशक्तिकरण की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, सुरक्षा, तकनीकी पहुँच, राजनीतिक दलों में सुधार और निर्वाचित महिलाओं के अधिकार के प्रति संस्थागत सम्मान आवश्यक है।**

संदर्भ सूची

1. आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा. (2023). *हरियाणा सांख्यिकीय सार 2021-22* (पृ. 531-534). हरियाणा सरकार.
2. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. (2021). *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21: हरियाणा तथ्य पत्रक* (पृ. 20-24). भारत सरकार.
3. भारत निर्वाचन आयोग. (2024, 7 अक्टूबर). *हरियाणा विधानसभा चुनाव में 67.90 प्रतिशत मतदान दर्ज*. पत्र सूचना कार्यालय.
4. भारत सरकार. (2023). *संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023*. भारत का राजपत्र.
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2025, 4 फ़रवरी). *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में "म्हारी लाडो" श्रव्य कार्यक्रम द्वारा बालिका सशक्तिकरण*. पत्र सूचना कार्यालय.
6. पंचायती राज मंत्रालय. (2023, 2 अगस्त). *हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण*. भारत सरकार.
7. राजबाला तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य, *संवैधानिक याचिका संख्या 671* (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 10 दिसंबर 2015).

8. संसदीय शोध संस्था (**PRS Legislative Research**). **(2023).** *महिला आरक्षण विधेयक, **2023:** संविधान (एक सौ अट्ठाईसवाँ संशोधन) विधेयक, **2023**.*
9. संसदीय शोध संस्था (**PRS Legislative Research**). **(2024).** *पंद्रहवीं हरियाणा विधानसभा की रूपरेखा.*
10. हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी. **(n.d.).** *हरियाणा के निर्वाचन संबंधी संक्षिप्त आँकड़े.* हरियाणा सरकार.